कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–::परिपत्र::–

विभाग के ध्यान में आया है कि विद्यालय परिसर/भवन/ढांचे जीर्णशीर्ण/क्षतिग्रस्त होने के कारण जहां एक ओर विद्यार्थियों के जीवन सुरक्षा को खतरा बना रहता है वहीं दूसरी ओर विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किए गये कक्षा कक्ष एवं अन्य विभिन्न निर्माण कार्यो के समय पर प्रारंभ किए जाने में अवरोध रहता है। जीर्णशीर्ण/क्षतिग्रस्त कमरो के भूमिदोज किये जाने के संबंध में निदेशालय/राज्य सरकार स्तर से स्वीकृति जारी करने मे प्रक्रिया के जटिल एवं अव्यवहारिक होने से विलम्ब भी होता है। अतः समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त प्रशासनिक आदेशों को निरस्त करते हुए राज्य सरकार के पत्रांक प.17(8) प्राशि/आयो./भूमि भवन/15 जयपुर दि. 08.06.15 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार निम्नानुसार प्रक्रियात्मक सरलीकरण के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:–

1. <u>जीर्ण–शीर्ण/क्षतिग्रस्त भवनों का सर्वे:–</u>

1.1 संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित जीर्ण–शीर्ण अवस्था के कक्षा कक्ष एवं अन्य भवन (ढांचा) को भूमिदोज (गिराने) के संबंध में विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्ताव तीन प्रतियों में संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेगी। संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की जॉच कर दो प्रतियों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) को प्रेषित करेगा।

1.2 प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

1.3 बिन्दु संख्या 1.2 में वर्णित प्रस्ताव के अभाव में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) द्वारा कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं प्राप्त प्रस्ताव खारिज किया जाकर, संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव प्राप्त होने के 10 दिवस की अवधि में सूचित किया जावेगा एवं संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 दिवस में संबंधित संस्था प्रधान को सूचित किया जावेगा।

2. <u>तकनीकी जॉच (सर्वे):–</u>

2.1 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)प्राप्त प्रस्ताव की एक प्रति राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के संबंधित जिला कार्यालय के सहायक अभियंता को प्रस्ताव प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में आवश्यक जॉच (सर्वे रिपोर्ट) हेतु प्रेषित की जायेगी।

2.2 सहायक अभियंता प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस की अवधि में संस्था प्रधान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर विद्यालय में उपलब्ध अभिलेख (यदि कोई हो) का अवलोकन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति/से विचार विमर्श तथा तकनीकी मानकों के आधार पर भवन/ढांचों के सुरक्षित होने से संबंधित प्रमाण पत्र जारी कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को प्रेषित करेंगे।

3. <u>जिला स्तरीय निष्पादक समितिः–</u>

3.1 प्राप्त तकनीकी सर्वे रिपोर्ट (बिन्दु संख्या 2.2) के आधार पर जीण–शीर्ण/क्षतिग्रस्त भवन/ढांचे के भूमिदोज किये जाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिला स्तरीय निष्पादक समिति अधिकृत होगी एवं लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.2 जिला स्तरीय स्तरीय निष्पादक समिति का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है–

(i) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा –अध्यक्ष

(ii) राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के जिला कार्यालय के सहायक अभियंता –सदस्य

(iii) सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारंभिक शिक्षा –सदस्य

(IV) संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी –सदस्य सचिव

2

3.3 समिति के निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति/संस्था निर्णय के 15 दिवस की अवधि में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को अपील कर सकेगा/सकेगी, जिसका निस्तारण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जायेगा।

3.4 समिति के निर्णय के आधार पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक आवश्यक आदेश जारी कर, प्रतिलिपि निदेशालय, संबंधित उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, एवं संबंधित संस्था प्रधान को पृष्ठांकित करेंगे। जारी की गई आदेश की प्रति संबंधित कार्यालयों के अभिलेखों में सुरक्षित रखी जायेगी।

3.5 जिला स्तरीय निष्पादन समिति की मासिक बैठक आहुत करने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होगा।

4. क्रियान्वयन एवं आय–व्यय:–

4.1 भवन/ढांचे को गिराने के संबंधित कार्यवाही विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा की जायेगी।

4.2 गिराने के संबंध में होने वाली आय–व्यय एवं आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी संबंधित विद्यालय प्रबन्धन समिति को देने का उत्तरदायित्व संबंधित शाला प्रधान का होगा।

4.3 गिराने के बाद के मलबे को विद्यालय परिसर से अधिकतम 07 दिवस की अवधि में हटाने का दायित्व संस्था प्रधान का होगा।

4.4 विद्यालय परिसर में निकट अवधि में प्रस्तावित नव निर्माण में मलबे को आवश्यकतानुसार उपयोग में लिया जा सकेगा अथवा विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा खुली बोली से नीलाम किया जायेगा।

4.5 मलबे से प्राप्त आय–व्यय विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाते में जमा होगी। यदि अवशेष मलबे को नव निर्माण के उपयोग में लिया जाता है तो नव निर्माण की लागत में से आवश्यक अंश कम किया जायेगा।

2/7/15

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–प्रारं/साप्र/डी/3077/वो–1/2010–11 / 222 दिनांक– 02.07.15

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना) प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दि. 08.06.15 एवं 16.06.15 के में सूचनार्थ।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर
3. जिला कलक्टर (समस्त)
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. समस्त उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा
7. समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
8. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर